



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082022-238116  
CG-DL-E-16082022-238116

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]  
No. 556]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2022/श्रावण 25, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2022/SHRAVANA 25, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 630(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खंड 3 के उप-खंड 1(ग)(i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका में क्र.सं.1 के सामने उल्लिखित व्यक्ति को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है:

तालिका

क्र.सं.	सरोकारी	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सदस्य	श्री राजेश कुमार सिन्हा, आईएएस, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

2. इस बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अध्यधीन होगी तथा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति इस बोर्ड का सदस्य तब तक बना रहेगा, जब तक कि वह उक्त पद पर नियुक्त रहता है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(1)]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS****(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th August, 2022

**G.S.R. 630(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section 1(c) (i) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021, the Central Government hereby appoints the person mentioned against S. No. 1 in the table below, as a Member of the Board of Syama Prasad Mookerjee Port Authority:

**TABLE**

<b>Sl. No.</b>	<b>Interests</b>	<b>Person appointed</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Member from Government of West Bengal	Shri Rajesh Kumar Sinha, IAS, Principal Secretary, Transport Department, Government of West Bengal.

2. The Appointment of Member of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021 and the person appointed as a Member shall continue to be a Member of the Board so long as he continues to hold that office.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part(1)]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.